न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2025/1065

1. पवन कुमार पुत्र मूलचन्द निवासी ग्राम गंढ तहसील तूंगा जिला जयपुर।

—अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तूगा जिला जयपुर।

—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.03.2025 उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर प्रकरण संख्या 36/2025 उनवानी सरकार बनाम प्रेम देवी व अन्य पारित किया गया।

उपस्थित–

1. श्री बी.एस.राठौड, धमेन्द्र चतुर्वेदी वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–01.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर राजस्थान के निर्णय दिनांक 12.03.2025 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके ग्राम गढ तहसील तूंगा जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1946 रकबा 0.1900 है0 में से 0.0680 है0 भूमि के संबंध में तहसीलदार तूंगा द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा भिजवाने जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तूंगा जिला जयपुर द्वारा राजस्व अभिलेख में रास्ता पृथक से दर्ज करते हुये भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 12.03.2025 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 12.03.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट पवन कुमार पुत्र मूलचन्द द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 12.03.2025 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम गढ तहसील तूंगा जिला

जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 1946 रकबा 0.1900 है0 के अपीलांट काबिज रिकार्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये एवं कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी की उक्त आराजी से रास्ते का अंकन हो जाता है तो अपीलांट की भूमि दो भागों में बंट जावेगी तथा उक्त अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में से आज दिनांक तक किसी भी तरह का कोई आम रास्ता या सडक नहीं है। आमजन के आवागमन हेतु अपीलार्थी की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् से किसी भी प्रकार का कोई रास्ता ना तो राजस्व रिकार्ड मे व ना ही मौके पर अवस्थित है। उपखण्ड अधिकारी, बस्सी ने अपीलान्ट खातेदार को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, तूंगा द्वारा तैयार की गई एक पक्षीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.02.2025 के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी में से नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं। प्रकरण में अपीलान्ट को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही विधिक प्रक्रिया का कोई पालन किया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131–132 तथा भू–राजस्व नियम 58 से 60 के अंतर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही के समय खातेदार को बिना सुने उनकी खातेदारी भूमि में गैर मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं जिसमें सभी सह खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने के पश्चात् ही रास्ता दर्ज करने का प्रावधान है। प्रार्थी की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है एवं मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जॉच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर दिनांक 12.03.2025 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार तूंगा जिला जयपुर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.02.2025 के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत् भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा तहसीलदार तूंगा द्वारा राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ता परिवर्तन हेतु प्रस्ताव दिनांक 17.02.2025 के आधार पर ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 के प्रावधानानुसार भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। प्रश्नगत रास्ता मौके पर चालू, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध एवं राजस्व अभिलेख में स्थाई रूप से अंकन की अभिशंसा की गई है। तहसीलदार तूंगा द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये मौका अनुसार रास्ते का प्रस्ताव दिया गया हैं एवं उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् उक्त रास्ते को खातेदारी से पृथक नहीं करते हुये भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 12.03.2025 को दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर का अपीलाधीन प्रकरण संख्या 36/2015 निर्णय दिनांक 12.03.2025 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।